रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102023-249572 CG-DL-E-20102023-249572

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945

No. 6051

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2023

सं. 12/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.िन. 759(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना मेः-

- (क) तालिका में,
- (i) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

6681 GI/2023 (1)

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से केंद्रीय कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से केंद्रीय कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.";

(ii) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से केंद्रीय कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से केंद्रीय कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.":

- (iii) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्दों "टोटलिसेटर या या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति" के स्थान पर, शब्द " किसी क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा " प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा:
- (ख) अनुबंध में: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना,
- (i) कॉलम (1) में क्रम संख्या 696 और 698 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी] राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023, जिसे सा.का.नि. 537 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 12/2023- Central Tax (Rate)

G.S.R. 759(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue)

No. 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification. -

- (A) in the Table,
 - (i) against serial number 8, in column (3), in item (vi), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent, the following condition shall be inserted, namely:-

"Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges central tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' engages 'B' for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires a motor cab with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' central tax at the rate of 6% (Rs. 48). If 'B' charges 'A' central tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.";

(ii) against serial number 10, in column (3), in item (i), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent, , the following condition shall be inserted, namely:-

"Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges central tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' engages 'B' for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires a motor cab with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' central tax at the rate of 6% (Rs. 48). If 'B' charges 'A' central tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.";

- (iii) against serial number 34, -
 - (a) in column (3), in item (iv), for the words "totalisator or a license to", the words "licensing a" shall be substituted;
 - (b) in column (3), item (v) and the entries relating thereto shall be omitted;
- (B) in the Annexure: Scheme of Classification of Services,-
 - (i) serial number 696 and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (ii) serial number 698 and the entries relating thereto shall be omitted.
- 2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification number 11/2017 -Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 06/2023-Central Tax (Rate), dated the 26th July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 537(E), dated the 26th July, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2023

सं. 15/2023 -एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 760(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv)

और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना मेः-

(क) तालिका में,

(i) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 5% से अधिक दर पर एकीकृत कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 5% की दर से अधिक है , उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 12% (96 रुपये) की दर से 'ख' से एकीकृत कर लेता है। यदि 'ख' 5% की दर से 'क' से एकीकृत कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 40 रुपये (800 रु. का 5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 96रु.":

(ii) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातु:-

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 5% से अधिक दर पर एकीकृत कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 5% की दर से अधिक है , उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 12% (96 रुपये) की दर से 'ख' से एकीकृत कर लेता है। यदि 'ख' 5% की दर से 'क' से एकीकृत कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 40 रुपये (800 रु. का 5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 96रु.":

- (iii) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्दों "टोटलिसेटर या लाइसेंस टू" के स्थान पर, शब्द "लाइसेंसिंग ए" प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (iv) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ख) अनुबंध में: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना,
- (i) कॉलम (1) में क्रम संख्या 696 और 698 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 सितम्बर, 2023, सा.का.िन. 689 (अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 15/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 760(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, subsection (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (A) in the Table,
- (i) against serial number 8, in column (3), in item (vi), after the condition in column (5) against the rate of 5 percent, the following condition shall be inserted, namely:-

"Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges integrated tax at a rate higher than 5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' engages 'B' for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires a motor cab with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' integrated tax at the rate of 12% (Rs. 96). If 'B' charges 'A' integrated tax at the rate of 5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 40 (5% of Rs. 800) and not Rs. 96.";

(ii) against serial number 10, in column (3), in item (i), after the condition in column (5) against the rate of 5 percent, the following condition shall be inserted, namely:-

"Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges integrated tax at a rate higher than 5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' engages 'B' for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires a motor cab with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' integrated tax at the rate of 12% (Rs. 96). If 'B' charges 'A' integrated tax at the rate of 5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 40 (5% of Rs. 800) and not Rs. 96.";

- (iii) against serial number 34,-
 - (a) in column (3), in item (iv), for the words "totalisator or a license to", the words "licensing a" shall be substituted;
 - (b) in column (3), item (v) and the entries relating thereto shall be omitted;
- (B) in the Annexure: Scheme of Classification of Services,-
- (i) serial number 696 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) serial number 698 and the entries relating thereto shall be omitted.
- 2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification number 08/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 11/2023-Integrated Tax (Rate), dated the 26th September, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 689(E), dated the 26th September, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2023

सं. 12/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 761(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के उपवाक्य (iv), (v) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना मेः-

- (क) तालिका में,
- (i) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है , उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से संघ राज्य कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से संघ राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.";

(ii) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है , उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से संघ राज्य कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से संघ राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्त आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.";

- (iii) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्दों "टोटलिसेटर या या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति" के स्थान पर, शब्द " किसी क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा " प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ख) अनुबंध में: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना,
- (i) कॉलम (1) में क्रम संख्या 696 और 698 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी] राजीव रंजन, अवर सचिव, भारत सरकार नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2022, सा.का.िन. 539 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2022 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 12/2023- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 761(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8, clause (iv), clause (v) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods Services Tax Act. 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section sub-section of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of (1) 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (A) in the Table,
 - (i) against serial number 8, in column (3), in item (vi), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent, the following condition shall be inserted, namely:-

"Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges Union Territory tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' engages 'B' for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires a motor cab with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' Union Territory tax at the rate of 6% (Rs. 48). If 'B' charges 'A' Union Territory tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.";

(ii) against serial number 10, in column (3), in item (i), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent, , the following condition shall be inserted, namely:-

"Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges Union Territory tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' engages 'B' for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires a motor cab with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' Union Territory tax at the rate of 6% (Rs. 48). If 'B' charges 'A' Union Territory tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.";

- (iii) against serial number 34, -
 - (a) in column (3), in item (iv), for the words "totalisator or a license to", the words "licensing a" shall be substituted;
 - (b) in column (3), item (v) and the entries relating thereto shall be omitted;
- (B) in the Annexure: Scheme of Classification of Services,-
 - (i) serial number 696 and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (ii) serial number 698 and the entries relating thereto shall be omitted.
- 2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

Note: - The principal notification number 11/2017 -Union Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) ,vide number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 06/2023-Union Tax (Rate), dated the 26th July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 539(E), dated the 26th July, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 13/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.िन. 762(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातु:-

इस अधिसूचना में, तालिका में,-

(1) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3ख	अध्याय 99	इन माध्यमों से किसी सरकारी प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली सेवाएं-	शून्य	शून्य";
		(क) जलापूर्ति ;		
		(ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य ;		
		(ग) स्वच्छता संरक्षण ;		
		(घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; और		
		(ङ) मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन।		

- (2) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (3) में, खंड (क) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक " [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (3) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, उप-खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्दों और कोष्ठक " [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (4) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्दों और कोष्ठक " [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (5) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में , प्रथम परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्दों और कोष्ठक " [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. संख्या सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी] राजीव रंजन. अवर सचिव [भाग II—खण्ड3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

टिप्पणः मूल अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.िन. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023 जिसे सा.का.िन. 540(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 13/2023- Central Tax (Rate)

G.S.R. 762(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, -

(1.) after serial number 3A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3B	Chapter 99	Services provided to a Governmental Authority by way of -	Nil	Nil";
		(a) water supply;		
		(b) public health;		
		(c) sanitation conservancy;		
		(d) solid waste management; and		
		(e) slum improvement and upgradation.		

- (2.) against serial number 6, in column (3),in item (a), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
- (3.) against serial number 7, in column (3), in the Explanation, in item (a), in sub-item(i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
- (4.) against serial number 8, in column (3)in the proviso, in item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
- (5.) against serial number 9,in column (3), in the first proviso, in item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
- 2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification no. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 07/2023 - Central Tax (Rate), dated the 26th July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 540(E), dated the 26th July, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2023

सं. 16/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.िन. 763(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पिठत, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

इस अधिसूचना में, तालिका में,-

(1) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3ख	अध्याय 99	इन माध्यमों से किसी सरकारी प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली सेवाएं-	शून्य	शून्य";
		(क) जलापूर्ति ;		
		(ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य ;		
		(ग) स्वच्छता संरक्षण ;		
		(घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; और		
		(ङ) मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन।		

- (2) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (3) में, खंड (क) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक " [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (3) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, उप-खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्दों और कोष्ठक " [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (4) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्दों और कोष्ठक " [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (5) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में , प्रथम परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्दों और कोष्ठक " [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-।।) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 सितम्बर, 2023, सा.का.िन. 690 (अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2023

No. 16/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 763(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 5, subsection (1) of section 6 and clause (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No.9/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(1.) after serial number 3A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3B	Chapter 99	Services provided to a Governmental Authority by way of -	Nil	Nil";
		(a) water supply;		
		(b) public health;		
		(c) sanitation conservancy;		
		(d) solid waste management; and		
		(e) slum improvement and upgradation.		

- (2.) against serial number 6, in column (3),in item (a), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
- (3.) against serial number 7, in column (3), in the Explanation, in item (a), in sub-item(i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)"shall be inserted;
- (4.) against serial number 8, in column (3)in the proviso, in item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
- (5.) against serial number 9,in column (3), in the first proviso, in item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
- 2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification no. 9/2017 -Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 12/2023 -Integrated Tax (Rate), dated the 26th September, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 690 (E), dated the 26th September, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 13/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 764(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1), धारा 21 के उपवाक्य (iv) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

इस अधिसूचना में, तालिका में,-

(1) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा. अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3ख	अध्याय 99	इन माध्यमों से किसी सरकारी प्राधिकरण को प्रदान की	शून्य	शून्य";
		जाने वाली सेवाएं-		
		(क) जलापूर्ति ;		
		(ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य ;		
		(ग) स्वच्छता संरक्षण ;		
		(घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; और		
		(ङ) मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन।		

- (2) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (3) में, खंड (क) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक "[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (3) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, उप-खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्दों और कोष्ठक "[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (4) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्दों और कोष्ठक "[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (5) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में , प्रथम परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्दों और कोष्ठक "[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, सा.का.िन. 812(अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 13/2023- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 764(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8 and clause (iv) and clause (xxvii) of section 21 of the Union territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(1.) after serial number 3A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3B	Chapter 99	Services provided to a Governmental Authority by way of -	Nil	Nil";
		(a) water supply;		
		(b) public health;		
		(c) sanitation conservancy;		
		(d) solid waste management; and		
		(e) slum improvement and upgradation.		

- (2.) against serial number 6, in column (3),in item (a), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
- (3.) against serial number 7, in column (3), in the Explanation, in item (a), in sub-item(i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)"shall be inserted;
- (4.) against serial number 8, in column (3)in the proviso, in item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
- (5.) against serial number 9,in column (3), in the first proviso, in item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
- 2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification no. 12/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017,was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 07/2023 - Union Territory Tax (Rate), dated the 26th July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 542(E), dated the 26th July, 2023.